GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 261
ANSWERED ON 19.03.2021

IMPLEMENTATION OF PMAY-G

*261 SHRI SYED ZAFAR ISLAM:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has any record of the number of houses constructed and the quantum of funds utilized under the Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) during the last three years and the current year;
(b) if so, the details thereof, year-wise and State-wise, including Uttar Pradesh; and
(c) whether Government has set any target regarding the completion of works under PMAY-G and if so, the details thereof?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(SADHVI NIRANJAN JYOTI)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT IN REPLY TO PART (a) to (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.261 TO BE ANSWERED ON 19.03.2021 REGARDING IMPLEMENTATION OF PMAY-G

(a) & (b) Yes Sir. The Year-wise and State-wise (including Uttar Pradesh) number of houses constructed and the quantum of funds utilized under the Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) during the last three years and the current year is given in **Annexure**.

(c) The Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) being implemented w.e.f. 1st April, 2016 aims to provide "Housing for All" through provision of pucca house with basic amenities to all houseless households living in kutcha and dilapidated house in rural areas. The overall target is to construct 2.95 crore houses under the Programme by 2022.

****

Annexure

STATEMENT IN REPLY TO PART (A & B) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 261 TO BE ANSWERED ON 19.03.2020 REGARDING IMPLEMENTATION OF PMAY-G

Year-wise and State-wise (including Uttar Pradesh) number of houses completed and funds utilized under Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin (PMAY-G):

S.No.	State /UT	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21(as on 15/03/21	
		Houses constructed (in Nos.)	Utilization (Rs. in crore)	Houses constructed (in Nos.)	Utilization (Rs. in crore)	Houses constructed (in Nos.)	Utilization (Rs. in crore)	Houses constructed (in Nos.)	Utilization (Rs. in crore)
1	Andhra Pradesh	27358	264.47	18679	264.55	5	0.00	0	0.00
2	Arunachal Pradesh	0	0.00	85	0.00	747	0.39	1696	4.52
3	Assam	26059	1458.46	159017	1149.68	84009	2046.75	123815	1096.76
4	Bihar	28135	3243.10	581833	5602.96	376220	8265.94	778112	8933.85
5	Chattisgarh	365875	4156.61	341381	3878.31	34587	989.82	37663	973.55
6	Goa	0	0.00	22	0.60	3	0.80	82	0.43
7	Gujarat	95281	1204.71	83096	826.80	35589	798.10	47036	425.74
8	Haryana	6676	148.74	5961	44.68	6670	63.36	1202	12.79
9	Himachal Pradesh	3504	38.88	3096	34.73	447	11.11	532	18.08
10	Jammu & Kashmir	1979	95.67	14442	186.14	5610	221.43	19301	489.05
11	Jharkhand	188299	3088.97	272679	2749.41	156975	3396.56	183251	3471.50
12	Karnataka	34317	537.89	43760	597.47	7085	0.00	2131	0.00
13	Kerala	9444	102.72	6519	42.51	779	11.80	571	22.13
14	Madhya Pradesh	636354	7875.45	679290	7297.32	271274	4176.04	238929	3288.32
15	Maharashtra	145631	1970.13	201969	0.00	92278	1924.76	130952	1925.98
16	Manipur	66	65.91	7655	49.97	1151	12.83	1576	79.33
17	Meghalaya	260	102.45	11329	106.60	4995	57.97	3465	164.31
18	Mizoram	1333	23.26	900	7.62	997	31.80	976	13.82
19	Nagaland	0	0.17	17	39.03	3687	15.25	535	0.01
20	Odisha	431670	5810.32	403128	4577.35	361188	5460.07	343910	4259.80
21	Punjab	608	30.67	12751	128.59	410	36.01	2457	58.74
22	Rajasthan	317728	4184.56	326595	3161.40	166764	2924.02	264497	3315.92
23	Sikkim	372	9.26	646	4.22	34	0.37	13	0.28
24	Tamil Nadu	78680	939.08	104388	1353.68	49987	996.93	48068	599.94
25	Telangana	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26	Tripura	3333	230.83	20690	82.56	6155	210.50	14787	96.11
27	**Uttar Pradesh**	**817035**	**10241.34**	**426590**	**4773.31**	**174168**	**2207.35**	**28004**	**4120.18**
28	Uttarakhand	6237	70.51	5925	60.27	192	5.71	16	1.00
29	West Bengal	589790	7867.88	739779	7759.23	286340	8854.41	618495	9633.09
30	Andaman & Nicobar	0	0.00	1	0.00	286	1.12	307	7.79
31	Dadra & Nagar Haveli	1	0.55	197	9.06	221	23.33	362	29.93
32	Daman & DIU	6	0.10	7	0.05	0	0.00	0	0.00
33	Lakshadweep	0	0.00	0	0.23	9	0.35	28	0.01
34	Puducherry	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total		**3816031**	**53762.69**	**4472427**	**44788.33**	**2128862**	**42744.88**	**2892769**	**43042.96**

Source: A1, B3 and B5 report of AwaasSoft as on 15.03.2021.

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 261*

(19 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन

***261. श्री सैयद जफर इस्लाम:**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्मित किए गए आवासों की संख्या और इसके अंतर्गत उपयोग की गई निधियों की मात्रा का कोई रिकॉर्ड है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश सहित वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कार्यों को पूरा किए जाने संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 19.03.2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन विषय र उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 261 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी, हां। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत बनाए गए मकानों की संख्या और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को आधारभूत सुविधाओं से संपन्न पक्का मकान उपलब्ध कराकर "सभी के लिए आवास" का प्रावधान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र लक्ष्य वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 19.03.2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन विषय र उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 261 के भाग (क और ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (ीएमएवाई-जी) के अंतर्गत बनाए गए मकानों की संख्या और उयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) ब्यौरा :

क्र.सं.	राज्य/सं.रा. क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21 (15.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार)	
		निर्मित मकान (संख्या में)	उयोग (रू. करोड़ में)	निर्मित मकान (संख्या में)	उयोग (रू. करोड़ में)	निर्मित मकान (संख्या में)	उयोग (रू. करोड़ में)	निर्मित मकान (संख्या में)	उयोग (रू. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	27358	264.47	18679	264.55	5	0.00	0	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	85	0.00	747	0.39	1696	4.52
3	असम	26059	1458.46	159017	1149.68	84009	2046.75	123815	1096.76
4	बिहार	28135	3243.10	581833	5602.96	376220	8265.94	778112	8933.85
5	छत्तीसगढ़	365875	4156.61	341381	3878.31	34587	989.82	37663	973.55
6	गोवा	0	0.00	22	0.60	3	0.80	82	0.43
7	गुजरात	95281	1204.71	83096	826.80	35589	798.10	47036	425.74
8	हरियाणा	6676	148.74	5961	44.68	6670	63.36	1202	12.79
9	हिमाचल प्रदेश	3504	38.88	3096	34.73	447	11.11	532	18.08
10	जम्मू और कश्मीर	1979	95.67	14442	186.14	5610	221.43	19301	489.05
11	झारखंड	188299	3088.97	272679	2749.41	156975	3396.56	183251	3471.50
12	कर्नाटक	34317	537.89	43760	597.47	7085	0.00	2131	0.00
13	केरल	9444	102.72	6519	42.51	779	11.80	571	22.13
14	मध्य प्रदेश	636354	7875.45	679290	7297.32	271274	4176.04	238929	3288.32
15	महाराष्ट्र	145631	1970.13	201969	0.00	92278	1924.76	130952	1925.98
16	मणिपुर	66	65.91	7655	49.97	1151	12.83	1576	79.33
17	मेघालय	260	102.45	11329	106.60	4995	57.97	3465	164.31
18	मिजोरम	1333	23.26	900	7.62	997	31.80	976	13.82
19	नागालैंड	0	0.17	17	39.03	3687	15.25	535	0.01
20	ओडिशा	431670	5810.32	403128	4577.35	361188	5460.07	343910	4259.80
21	पंजाब	608	30.67	12751	128.59	410	36.01	2457	58.74
22	राजस्थान	317728	4184.56	326595	3161.40	166764	2924.02	264497	3315.92
23	सिक्किम	372	9.26	646	4.22	34	0.37	13	0.28
24	तमिलनाडु	78680	939.08	104388	1353.68	49987	996.93	48068	599.94
25	तेलंगाना	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26	त्रिपुरा	3333	230.83	20690	82.56	6155	210.50	14787	96.11

27	**उत्तर प्रदेश**	**817035**	**10241.34**	**426590**	**4773.31**	**174168**	**2207.35**	**28004**	**4120.18**
28	उत्तराखंड	6237	70.51	5925	60.27	192	5.71	16	1.00
29	पश्चिम बंगाल	589790	7867.88	739779	7759.23	286340	8854.41	618495	9633.09
30	अंडमान और निकोबार	0	0.00	1	0.00	286	1.12	307	7.79
31	दादरा और नगर हवेली	1	0.55	197	9.06	221	23.33	362	29.93
32	दमन और दीव	6	0.10	7	0.05	0	0.00	0	0.00
33	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.23	9	0.35	28	0.01
34	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
कुल		**3816031**	**53762.69**	**4472427**	**44788.33**	**2128862**	**42744.88**	**2892769**	**43042.96**

स्रोत : दिनांक 15.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार आवाससॉफ्ट की ए1, बी3 और बी5 रिपोर्ट

SHRI SYED ZAFAR ISLAM: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering giving a second chance to those eligible beneficiaries, under Pradhan Mantri Awas Yojana, who have applied for subsidy but their forms have been rejected because they have made certain errors in filling the form. Is the Government considering giving them a second chance?

साध्वी निरंजन ज्योति : उपसभापति महोदय, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और मुझे खुशी भी है कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने 2014 में शपथ ली थी, तब उन्होंने सेंट्रल हॉल में एक बात कही थी, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी और मैं जवाब भी दूंगी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब के लिए समर्पित है। सर, मैं उस दौर से गुज़री हूं कि मकान न होने पर गरीब के साथ मजबूरी होती है, तो मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि सरकार ने वर्ष 2022 तक 2 करोड़, 95 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। सरकार पूरी पारदर्शिता से आवास के लिए काम कर रही है। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछा था, लेकिन मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि जब से हमारी सरकार बनी, क्योंकि ...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, कृपया संक्षेप में उत्तर दीजिए।

साध्वी निरंजन ज्योति: महोदय, कैबिनेट मंत्री जी नहीं हैं, मैं पहली बार जवाब दे रही हूं। मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूं, क्योंकि गरीब परिवार ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, हमें आगे और सवाल भी लेने हैं, तो आप संक्षेप में उत्तर दीजिए।

साध्वी निरंजन ज्योति: प्रत्येक गरीब परिवार की इच्छा होती है कि हमारे ऊपर भी एक छत हो और यह छत देने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। उन्होंने केवल छत ही नहीं दी, बल्कि रसोई भी दी है, गैस सिलेंडर भी दिया है, आवास भी दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

साध्वी निरंजन ज्योति: अभी पानी भी देने वाले हैं।

श्री सैयद जफर इस्लाम : महोदय, मेरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन यह है कि ऐसे बहुत सारे instances देखे गए हैं, जिनमें हमें मालूम है कि eligible beneficiary under PMAY कौन है? वह जो marginalised section of the society है, लेकिन जब वे लोन लेते हैं, उस समय जो interest rate देना पड़ रहा है, तो कहीं ऐसे instances देखे गए, जहां interest rate बहुत high है। क्या

सरकार इसके बारे में संज्ञान ले रही है और यदि ले रही है, तो इस दिशा में क्या काम किया गया है?

साध्वी निरंजन ज्योति: महोदय, ग्रामीण आवास में लोन की प्रथा नहीं है। हम उसमें स्वयं एक लाख, बीस हज़ार रुपये देते हैं या मूलत: प्रदेश सरकारों से जो सूची आती है, उसी के आधार पर हम लोग देते हैं। उसमें कोई लोन की व्यवस्था नहीं है। हम सीधे एक लाख, बीस हज़ार रुपये देते हैं, MNREGA के तहत 12,000 रुपये देते हैं। हमारे माननीय सदस्य ने यह ग्रामीण आवास के संबंध में लोन के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगी कि इस योजना के अंतर्गत रु. 70,000 तक के लोन का प्रावधान है।

श्री राजीव सातव : उपसभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है, उसमें स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने 2022 में तीन करोड़ घर बांधने का टारगेट रखा है। मंत्री जी, जो जवाब सदन के सामने है, उसमें पिछले चार साल में उन्होंने सिर्फ 1 करोड़, 31 लाख घर बनाए हैं। इस स्पीड से तीन करोड़ घर बनाना मुश्किल है। इसमें जो hurdle है, वह hurdle यह है कि आप किश्तों में पैसे देते हैं। क्या सरकार घर बनाने की स्पीड बढ़ाने की दिशा में किश्तों में पैसे देने के बजाय, चूंकि यह गरीबों की बात है, एक साथ ही पैसे देगी? ऐसा करने पर उन्हें घर बांधने में आसानी होगी, तो क्या सरकार इस बारे में सोचेगी?

साध्वी निरंजन ज्योति: उपसभापति महोदय, इसमें विलंब होने का कारण यह है कि वर्ष 2019 में चुनाव आ गए थे-कहीं राज्यों के चुनाव होते हैं-कहीं पंचायत के चुनाव होते हैं-तो विलंब होने का कारण यह है। इस बारे में सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं है।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, I came to know from the answer of the Minister that as far as the State of Andhra Pradesh is concerned, in 2017-18 and in 2018-19, 27,358 and 18,679 houses have already been constructed. But there are complaints that most of the houses have not been delivered to the beneficiaries.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please; briefly.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, the target is there. But in 2019-20 and 2020-21, no house has been constructed. I want to know whether the Government has noticed this and whether it is taking any steps to rectify it and deliver the houses to the beneficiaries.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Please be brief. Otherwise, the other Members will not get the opportunity.

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय उपसभापति महोदय, सदस्य ने आंध्र प्रदेश के विषय के संबंध में विशेष तौर पर उल्लेख किया है कि वह लाभार्थियों को नहीं दिया जा रहा है। यदि कहीं ऐसी शिकायत है, तो हम उस पर जांच के लिए जरूर आदेश जारी करेंगे।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : माननीय उपसभापति महोदय, मैं नवनिर्वाचित सदस्य हूं और अपना पहला प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछ रहा हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री आवास की इस स्कीम को बनाया है, मैं 12 करोड़ से अधिक आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से इस अभिनव और अद्भुत योजना के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: सोलंकी जी, आप सवाल पूछिए।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : महोदय, 'प्रधान मंत्री आवास योजना ' में लागत कहीं न कहीं मूल्यवृद्धि की वजह से बढ़ती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में सामान ले जाने में दिक्कत होती है और लागत ज्यादा बैठती है, तो कहीं प्लास्टर के लिए और कहीं फर्श के लिए पैसा नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में इसकी लागत में वृद्धि करने का विचार है?

साध्वी निरंजन ज्योति: महोदय, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए - वैसे भी जहां मैदानी क्षेत्रों में हम 1 लाख, 20 हज़ार दे रहे हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हम 1 लाख, 30 हज़ार दे रहे हैं। माननीय सदस्य मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं और मैं मध्य प्रदेश सरकार को इसलिए बधाई देना चाहती हूं कि सबसे तेज़ गति से मध्य प्रदेश में काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। सरकारें जितना आगे आकर कार्य कर रही हैं - क्योंकि हमारा 60 और 40 का ratio होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में 90 और 10 का ratio होता है। सरकार proposal भेजती है और सरकार के अनुसार ही हम काम करते हैं। हम लोगों का अभी इससे अधिक सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री उपसभापतिः क्वेश्चन नम्बर-262.